

भारत में लैंगिक असमानता से युवाओं में विवाह संबंधी प्रतिमानों में बदलाव एवं चुनौतियां

डॉ ओमप्रकाश शर्मा

सह आचार्य, समाजशास्त्र विभाग

शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय

सवाई माधोपुर (राजस्थान)

सार

भारत में विवाह एक सार्वभौमिक घटना है। चूंकि देश हाल के दशकों में सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलावों से गुजरा है, इसका असर विवाह पर भी दिखाई देता है। यह पत्र भूगोल, संस्कृति और जनसांख्यिकी के संदर्भ में दो अलग-अलग क्षेत्रों, भारत के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में विवाह पैटर्न में हुए बदलावों की जांच करता है। महिलाओं के लिए विवाह की औसत आयु 1971 में उत्तरी क्षेत्र में 17.1 से बढ़कर 2011 में 21.4 हो गई है, जबकि दक्षिणी क्षेत्र में यह 18.7 से बढ़कर 21.3 हो गई है। हालांकि, पिछले तीन दशकों में दक्षिणी क्षेत्र में पति-पत्नी के बीच उम्र का अंतर कम हुआ है और उत्तरी क्षेत्र में यह काफी नहीं बदला है। 15-19 वर्ष की आयु की कभी विवाहित महिलाओं का अनुपात 1971 में उत्तरी क्षेत्र में अधिक था, लेकिन 2011 में यह दक्षिणी क्षेत्र की तुलना में कम था 1991 में प्रति 1000 विवाहित महिलाओं में से 6.5 महिलाएं तलाकशुदा या अलग थीं, जो 2011 में 9.7 तक पहुंच गई। दोनों क्षेत्रों में विवाह पैटर्न में परिवर्तन हुए हैं, लेकिन दक्षिण की तुलना में उत्तरी क्षेत्र में परिवर्तन तेजी से हुआ है।

मूल शब्द: विवाह पैटर्न, लिंग असमानता।

परिचय

भारतीय समाज में विवाह एक सार्वभौमिक घटना है जिसे विपरीत लिंग के व्यक्तियों के बीच कानूनी मिलन के रूप में संदर्भित किया जाता है जो कृत्यों, समारोह या प्रक्रिया द्वारा गठित होता है और इस मिलन की वैधता नागरिक, धार्मिक या कानूनों द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य तरीकों से स्थापित की जा सकती है। विवाह प्रजनन के माध्यम से समाज की जैविक निरंतरता और समाजीकरण के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करके इसकी सांस्कृतिक निरंतरता प्रदान करता है। दुनिया भर में विवाह के पैटर्न में स्पष्ट परिवर्तन हुए हैं। वैवाहिक प्रजनन क्षमता से इसके जुड़ाव के माध्यम से जनसंख्या की वृद्धि दर निर्धारित करने में इसकी प्रमुख भूमिका रही है। ऐतिहासिक रूप से, विवाह के पैटर्न में परिवर्तन ने यूरोप के कई देशों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जनसंख्या वृद्धि दर में मंदी का अनुभव करने वाले कई कम विकसित देशों में विवाह पैटर्न में परिवर्तन दिखाई देते हैं। कई समाजों में, प्रजनन मुख्य रूप से विवाह तक ही सीमित है, विवाह की आयु के संबंध में परिवर्तन और विवाहित अवस्था में शेष महिलाओं के अनुपात में परिणामी कमी सीधे प्रजनन क्षमता से जुड़ी हुई है और इस प्रकार जनसांख्यिकीय संक्रमण की भविष्य की प्रवृत्ति को निर्धारित करती है।

भारत में विवाह की ऐतिहासिक विशेषता में विवाह की सार्वभौमिकता और बाल विवाह दो प्रमुख पहलू थे। उत्तर भारत में कम उम्र में और यौवन से पहले विवाह की प्रथा लगभग सार्वभौमिक थी। आज भी, भारत के उत्तरी भागों और विशेष रूप से राजस्थान में बाल विवाह की घटनाएँ होती हैं। भारत में बाल विवाह को रोकने के लिए कई कानून पारित किए गए हैं। बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1978 के अनुसार, विवाह के लिए कानूनी न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है।

उद्देश्य

1. विवाह पैटर्न का अध्ययन करने के लिए ।
2. लिंग असमानता का अध्ययन करने के लिए .

विवाह पैटर्न

भारत में, विवाह की आयु में एक बड़ा क्षेत्रीय अंतर मौजूद है। दक्षिण भारतीय महिलाएँ अपेक्षाकृत देर से शादी करती हैं, विशेष रूप से केरल में और उत्तर में अपेक्षाकृत जल्दी, विशेष रूप से बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। क्षेत्रीय अंतर के अलावा, उत्तर और दक्षिण भारत के बीच महिला स्वायत्तता और जनसांख्यिकीय व्यवहार में व्यापक अंतर है। भारत के अधिकांश हिस्सों में, चाहे उत्तर और दक्षिण या हिंदू और मुस्लिम, परिवार मूल रूप से पितृसत्तात्मक, पितृस्थानीय और पितृवंशीय हैं, और यह क्षेत्र असमान लिंग संबंधों के लिए जाना जाता है। हाल ही में विवाहित महिलाओं के बीच विवाह के समय और साथी के चयन के बारे में अधिक स्वायत्तता, तथा पति के साथ शैक्षिक अंतर के मामले में उनके बीच अधिक समानता, उत्तर प्रदेश की तुलना में तमिलनाडु में कहीं अधिक स्पष्ट रूप से देखी गई विशेषताएँ हैं, तथा संभवतः तमिल महिलाओं के युवा समूहों के बीच अधिक समानतावादी संबंधों का संकेत देती हैं। नई प्रौद्योगिकी का विकास, आर्थिक प्रगति तथा शैक्षिक और जीवनशैली में नए बदलाव, विवाह के पैटर्न को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रमुख कारक हैं। जैसे-जैसे समय बीतता है, विवाह की आयु, जीवन साथी के चयन की प्रक्रिया, विवाह के उद्देश्य और प्रयोजन, तलाक की दरों में रुझान और विवाह के आर्थिक पहलुओं में भारी बदलाव आया है। विवाह के बदलते पैटर्न के निश्चित रूप से गंभीर परिणाम हैं क्योंकि विवाह की बढ़ती आयु प्रजनन दर को कम करने में अंतर लाती है।

भारत में नातेदारी प्रणाली पूरे देश में एकरूप नहीं है क्योंकि भारतीय समाज जाति व्यवस्था पर आधारित है। अधिकांश विवाह अभी भी माता-पिता द्वारा तय किए जाते हैं, हालांकि हाल के वर्षों में स्व-चयनित विवाहों का अनुपात बढ़ रहा है। तय विवाहों का इतिहास लिंग और अंतर-पीढ़ीगत संबंधों में रुझान को दर्शाता है। परंपरागत रूप से तय विवाह ने माता-पिता के हाथों में काफी शक्ति दी है, विशेष रूप से घर के मुखिया के हाथों में। उत्तरी क्षेत्र में, रिश्तेदारी पैटर्न तीन मुख्य विशेषताओं पर आधारित है। सबसे पहले, विवाह बहिर्विवाही है जिसका अर्थ है कि पति या पत्नी का रिश्तेदारी में कोई संबंध नहीं होना चाहिए और वे एक ही जन्म स्थान या निवास से नहीं होने चाहिए। दूसरे, पुरुषों को अपने परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से पुरुषों से मदद और समर्थन मिलता है। भारत में महिलाएँ कम उम्र में शादी कर लेती हैं, ताकि वे अपने पैतृक परिवार से आसानी से कट न सकें और पति के परिवार की संरचना और मूल्यों को भी आसानी से अपना सकें। उत्तर भारतीय नातेदारी व्यवस्था का एक पहलू यह है कि शादी के बाद महिलाएँ अपने पैतृक परिवार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं और साथ ही उन्हें अपने ससुराल वालों के प्रति पूरी तरह समर्पित होना पड़ता है। दक्षिणी क्षेत्र की अपनी विशिष्ट विशेषताएँ हैं जो उत्तरी क्षेत्र से भिन्न हैं। बड़ी बहन की बेटी, पिता की बहन की बेटी और माँ के भाई की बेटी के साथ अधिमान्य विवाह दक्षिणी क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित हैं। ऐसी व्यवस्था का मुख्य जोर 'कुल' की

एकता और एकजुटता बनाए रखने और एक ही पीढ़ी में बेटियों की वापसी (विनिमय) के सिद्धांत को कायम रखने पर है। दक्षिण भारत में महिलाओं को समाज में उच्च दर्जा प्राप्त है। आमतौर पर महिलाओं की शादी उनके पैतृक घरों और व्यक्तिगत आंदोलनों के करीब परिचित घरों के जाने-माने व्यक्तियों से होती है।

लिंग असमानता

हाल के वर्षों में आर्थिक विकास की उच्च दर हासिल करने के बावजूद भारत में लैंगिक असमानता या लैंगिक अंतर चिंता का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पारंपरिक पितृसत्तात्मक रीति-रिवाजों और मानदंडों ने महिलाओं को घर और कार्यस्थल में दोयम दर्जे पर पहुंचा दिया है। लैंगिक असमानता विश्व आर्थिक मंच के जेंडर गैप इंडेक्स (जीजीआई), 2014 में भारत की निम्न रैंकिंग में परिलक्षित होती है, जिसमें शैक्षिक प्राप्ति, आर्थिक भागीदारी और स्वास्थ्य और अस्तित्व जैसे मापदंडों पर औसत से नीचे स्कोर हैं। शैक्षिक प्राप्ति पर, भारत 0.68 की साक्षरता दर में महिला-पुरुष अनुपात के साथ 126 वें स्थान पर है। आर्थिक भागीदारी और अवसरों के मानदंड पर, भारत 134 वें स्थान पर था। श्रम बल भागीदारी में इसका महिला-पुरुष अनुपात 0.36 था। भारत स्वास्थ्य और अस्तित्व पर दूसरा सबसे निचला प्रदर्शन करने वाला देश था,

समग्र रूप से भारत लैंगिक असमानता सूचकांक में 0.563 स्कोर के साथ 146 देशों में से 127वें स्थान पर है और लैंगिक अंतर के मामले में दुनिया में 114वें स्थान पर है। मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की नई (2015) रिपोर्ट 'द पावर ऑफ पैरिटी' के अनुसार, भारत का वैश्विक लैंगिक समानता स्कोर (जीपीएस) 0.48 है, जो लैंगिक असमानता के "अत्यंत उच्च" स्तर को दर्शाता है। इसके अलावा, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) 2015 ने इस बात पर प्रकाश डाला कि लैंगिक असमानता के संबंध में दक्षिण एशियाई देशों में केवल अफगानिस्तान की स्थिति भारत से खराब है। लैंगिक असमानता सूचकांक (जीआईआई) के हर पैरामीटर पर भारत अपने दोनों पड़ोसी देशों पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे है। दुनिया के कुछ सबसे गरीब देशों जैसे तंजानिया, जिम्बाब्वे, रवांडा, युगांडा और मोजाम्बिक में एक तिहाई से लेकर आधे तक संसदीय सीटें महिलाओं के पास हैं। भारत में मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) भी बहुत अधिक है, जो 100,000 जीवित जन्मों पर 190 मौतों की है, जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में यह दर 100,000 जन्मों पर 170 गर्भावस्था से संबंधित मौतों की है। 2013 में वैश्विक मातृ मृत्यु में भारत और नाइजीरिया का योगदान एक तिहाई था। 2013 में अकेले भारत में 50,000 मातृ मृत्युएँ हुईं। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाओं के प्रतिशत के संदर्भ में, बांग्लादेश में 34 प्रतिशत की दर से भारत में 27 प्रतिशत की दर से बहुत बेहतर प्रदर्शन किया गया।

क्रियाविधि

इस शोध पत्र में चर्चा द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में विवाह के बदलते स्वरूप को उजागर करना था। निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पुरानी मनु लिपियों, पुस्तकों, पत्रिकाओं, मुद्रित सामग्री और अन्य संबंधित अध्ययनों को आधार बनाया गया।

विवाह का उद्भव और विकास

विवाह समारोहों का पहला साक्ष्य लगभग 2350 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में मिलता है। हमारे शुरुआती पूर्वज संभवतः 'आदिम भीड़' में रहते थे। आदिम भीड़ में कोई दीर्घकालिक जोड़ी बंधन नहीं था, नर और मादा कई भागीदारों के साथ संभोग करते थे। पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई बंधन नहीं था

महिलाएं और शिशु बाद की अवधि की तुलना में जन्म के समय अधिक विकसित थे, नर न तो प्रदाता थे और न ही रक्षक, जिससे जोड़े बनाना निरर्थक हो गया।

लगभग 5000 साल पहले हल और भारवाहक पशुओं के आविष्कार और बढ़ते उपयोग ने मानवीय संपर्क को बदल दिया। अधिक उत्पादक कृषि उत्पादन ने शहरों को आकार में बढ़ने की अनुमति देकर और अधिक जटिल समाजों का निर्माण किया, जिससे श्रम का विभाजन और विशेषज्ञता संभव हुई। प्रमुख सामाजिक बदलावों ने परिवारों और विवाहों को बहुत प्रभावित किया। कुछ समाजों में, विशेष रूप से अधिक समकालीन कृषि समाजों में, विवाह को अपेक्षाकृत समान भागीदारों के रूप में पहचाना जा सकता है जो परिवार के आर्थिक अस्तित्व के लिए समान रूप से उत्पादन करते हैं।

औद्योगीकरण ने पारिवारिक संस्था में जो मुख्य परिवर्तन किया, वह था पारिवारिक जीवन से काम का अलग होना। काम और पारिवारिक जीवन के अलग होने से वैवाहिक व्यवस्था पर कई तरह से असर पड़ा। सबसे पहले, परिवार बड़े विस्तारित परिवार व्यवस्था से छोटे एकल परिवारों में परिवर्तित हुए। औद्योगिक अर्थव्यवस्था के आगमन ने उत्पादक से उपभोक्ता संस्कृति में परिवर्तन को भी सुगम बनाया। पहले की पारिवारिक व्यवस्थाओं में, परिवार आश्रय से लेकर भोजन और कपड़ों तक की सभी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करते थे। उत्पादकों से उपभोक्ताओं की ओर इस बदलाव ने वैवाहिक व्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित किया है। महिलाओं में शिक्षा प्राप्ति में वृद्धि और प्रजनन क्षमता में कमी की प्रवृत्तियाँ शुरू हुईं। इन परिवर्तनों ने घरेलू दायरे से बाहर महिलाओं के लिए अधिक अवसर लाए हैं और एक लिंग की दूसरे पर आर्थिक निर्भरता कम हुई है। तलाक के बढ़ते स्तरों के मुद्दे के बावजूद, विवाह को केवल आर्थिक सहयोग और बच्चों के उत्पादन के लिए एक संस्था के रूप में देखने से दूर होने से आज के समाज में असंख्य विकल्प खुल गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि शादी करने के सभी दबाव गायब हो गए हैं, लेकिन आर्थिक अस्तित्व के लिए शादी करना अब आदर्श नहीं रह गया है। सहवास, एकल पालन-पोषण, दम्पतियों द्वारा स्वेच्छा से निःसंतान रहने, तथा समलैंगिक साझेदारी के खुलेपन की दरें भी उत्तर-आधुनिक ढांचे के भीतर विस्तारित हुई हैं।

परिणाम और चर्चा

हिंदू विचारधारा में विवाह का महत्व

विवाह हर समाज में अनिवार्य है। हिंदू विचारधारा के अनुसार जीवन को चार चरणों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास में बांटा गया है। दूसरा चरण 'गृहस्थ' विवाह से संबंधित है। दूसरा चरण गृहस्थ विवाह से संबंधित है और इसमें धर्म, अर्थ और काम के लक्ष्य शामिल हैं। धर्म का संबंध धर्म या धार्मिक पहलू से है, अर्थ का संबंध आर्थिक पहलू से है और काम का संबंध शारीरिक पहलू है। वेदों और स्मृतियों ने विवाह नामक संस्था को एक प्रामाणिक लिखित आधार दिया। विवाह व्यक्ति के जीवन में एक आवश्यक और महत्वपूर्ण चरण होता है और इसे अक्सर 'गृहस्थ आश्रम' कहा जाता है - एक ऐसा चरण जिसके बिना व्यक्ति *मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता*। वेद विवाह को एक संस्कार, एक सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य मानते हैं।

पारंपरिक हिंदू दृष्टिकोण के अनुसार, विवाह एक संस्कार है। जाति और शरीर की दृढ़ता के लिए विवाह अपरिहार्य है। अधिकांश लोगों के लिए, विवाह हमेशा व्यक्ति के अपने धर्म समूह के भीतर होता है और परिवार भी उसी के भीतर रहता है। जहां तक हिंदुओं का संबंध है, विवाह को आम तौर पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य माना जाता है क्योंकि इसे पहले स्थान पर रखा गया है। विवाह एक शरीर संस्कार है - *प्रत्येक पुरुष और महिला को उचित उम्र और समय पर इससे गुजरना चाहिए*। हिंदू मानते हैं कि किसी की संतान इस दुनिया के साथ-साथ परलोक में भी खुशियों से जुड़ी होती

है और इसका साधन होती है (मनु स्मृति)। मनु स्मृति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "वह एक आदर्श पुरुष है, जिसमें उसकी पत्नी, वह स्वयं और उसकी संतानें शामिल हैं।

विवाह के स्वरूप में हो रहे परिवर्तन

विवाह के स्वरूप में परिवर्तन: यद्यपि पारंपरिक हिंदू समाज में, एक विवाह विवाह का प्रमुख रूप था, फिर भी बहुविवाह, बहुविवाह, द्विविवाह और विनिमय विवाह काफी लोकप्रिय थे। अब समय के साथ बहुविवाह, बहुपतित्व और विनिमय विवाह में भारी गिरावट आई है और भारतीय समाज के अधिकांश लोग एक विवाह का पालन कर रहे हैं।

विवाह के उद्देश्य और प्रयोजन में परिवर्तन: पारंपरिक हिंदू विवाह में धार्मिक कर्तव्यों के पालन के लिए "धर्म" को माना जाता है। पहले विवाह पवित्र कर्तव्यों और कार्यों को पूरा करने के लिए होते थे। मुख्य कार्य परिवार के रिश्तेदार और रक्षक बनना था। मास मीडिया, उपभोक्तावाद, वैश्वीकरण जैसे विभिन्न कारकों के आगमन के साथ पवित्र प्रकार के संबंध फीके पड़ रहे हैं। उद्देश्य और प्रयोजनों ने अपना अर्थ सम्मान, वफादारी, ईमानदारी से बदलकर कम सम्मान, लालच और बेवफाई आदि कर दिया है।

जीवन साथी के चयन की प्रक्रिया में बदलाव: पुराने समय में, माता-पिता आमतौर पर जीवनसाथी का चयन करते थे और लड़की के बारे में शायद ही कोई कुछ कहता था। ऐसी कई कहानियाँ और स्टॉक हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं कि माता-पिता अपनी बेटियों की शादी अपनी मर्जी से करते थे। अब लड़कियों में बढ़ती शिक्षा, शहरीकरण, आर्थिक स्वतंत्रता आदि जैसे विभिन्न कारकों के कारण विवाह के मामलों में बच्चों से सलाह ली जाती है और यहाँ तक कि लड़की और लड़का भी विवाह समारोहों को अंजाम देने से पहले एक-दूसरे के विचार जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए भारतीय प्रणाली तब चरमरा गई जब लड़कियों की विस्तारित शिक्षा के रूप में बदलती वास्तविकता के कारण विवाह की उम्र बढ़ने और जीवनसाथी का चुनाव खुद करने पर इसका प्रभाव पड़ा। पहले जो विवाह बिचौलियों द्वारा किए जाते थे, उनकी जगह अब मैचमेकिंग एजेंसियों और अखबारों और विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइटों पर विज्ञापनों ने ले ली है।

विवाह की आयु में परिवर्तन: जब भारत में विवाह की आयु पर विचार किया जाता है, तो यह पता चलता है कि बच्चों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी और लड़कियों के मामले में यह अधिक था। राजस्थान जैसे कुछ विशिष्ट मामलों में लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में यानी 3-4 साल की उम्र में कर दी जाती थी, तब भी जब उन्हें विवाह का अर्थ भी नहीं पता होता था। भारत के पारंपरिक समाजों में विवाह प्रणाली कम उम्र में ही तय विवाह पर बहुत अधिक निर्भर थी। परिवार के सम्मान को बनाए रखने के लिए महिलाओं की कामुकता को सावधानीपूर्वक नियंत्रित करने की आवश्यकता है, पति और पत्नी को भावनात्मक रूप से बहुत अधिक नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि इससे पितृसत्तात्मक परिवार की एकता को खतरा हो सकता है। कम उम्र में विवाह महिलाओं की पवित्रता की रक्षा करने में मदद करता है, उनके पैतृक परिवारों से एक स्पष्ट विराम का संकेत देता है, उन्हें अपने नए परिवार में अधिकार की संरचना को स्वीकार करने की अधिक संभावना बनाता है और पति-पत्नी के बंधन को कमजोर करता है। अब प्रौद्योगिकी और लड़कियों के बीच जागरूकता जैसे विभिन्न कारकों के आगमन के कारण एक बड़ा बदलाव आया है। कानूनी तौर पर, लड़की की शादी की उम्र 18 साल और लड़के की 21 साल है। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा के आगमन के कारण, बच्चे लंबे समय तक पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं और इसलिए विवाह 25-30 साल में देरी से होते हैं। देर से विवाह की प्रवृत्ति सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों से जुड़ी है जो शैक्षिक और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाती है। वैवाहिक प्रजनन क्षमता से इसके जुड़ाव के माध्यम से जनसंख्या की वृद्धि दर निर्धारित करने में इसने प्रमुख भूमिका

निभाई है। देरी से विवाह प्रजनन दर को कम करने में काफी अंतर डालता है। भारत में 1970 में प्रजनन दर 5.6 थी जो 2008 में घटकर 2.8 हो गई है।

विवाह की स्थिरता में परिवर्तन (तलाक दर में वृद्धि)

पुराने समय में विवाह संस्था काफी स्थिर थी और तलाक की कोई घटना नहीं होती थी। रिश्तेदारी व्यवस्था का डर, मजबूत सामाजिक नियम, विवाहित जोड़ों को विवाह विच्छेद करने की अनुमति नहीं देते थे, भले ही वे साथ रहना चाहें या नहीं। अतीत में तलाक एक बहुत बड़ा कलंक था और बच्चों की खातिर और दिखावे और परिवार के सम्मान की खातिर दबाव बहुत मजबूत था। अब विधान, शिक्षा, प्रौद्योगिकी उन्नति और अधिक जागरूकता के कारण विवाह संस्था में स्थिरता आई है। दुनिया भर में समाज में तलाक की दर बढ़ रही है। पंजाब और हरियाणा जैसे कृषि आधारित राज्यों में पिछले दशक से 150% की वृद्धि हुई है और केरल, जिसे सबसे साक्षर राज्य के रूप में जाना जाता है, में पिछले दशक से 350% तलाक की दर में वृद्धि हुई है। प्रेम, व्यक्तिगत प्रतिबद्धता और आंतरिक संतुष्टि को अब विवाह की आधारशिला के रूप में देखा जाता है

चयन के क्षेत्र में परिवर्तन (अंतरजातीय विवाह की संख्या में वृद्धि)

कुछ समय पहले तक, किसी अन्य जाति या धर्म के व्यक्ति से विवाह करने की अनुमति परिवारों द्वारा नहीं दी जाती थी। कपाड़िया ने भारत में अंतरजातीय विवाहों पर एक अध्ययन किया और डेटा से पता चला कि पचास प्रतिशत से अधिक माता-पिता अपने बच्चों को अपनी जाति से बाहर विवाह करने की अनुमति देने के लिए तैयार थे। केवल एक तिहाई इस प्रथा से अलग होने के खिलाफ थे।

अफ़ज़ल ने पाया कि अंतरजातीय विवाह में धर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुस्लिम और अन्य धार्मिक समूहों से संबंधित महिलाओं के अंतरजातीय विवाह करने की संभावना हिंदुओं की तुलना में कम थी। इसके अलावा पंजाब में कामकाजी महिलाओं के अंतरजातीय विवाह करने की संभावना गैर-कामकाजी महिलाओं की तुलना में अधिक थी।

विवाह के आर्थिक पहलुओं में परिवर्तन

समारोह की तुलना में सामाजिक या नागरिक समारोह के रूप में आयोजित किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय विवाह की अवधारणा में भारी बदलाव आया है। अतीत में, यह समारोह एक पारिवारिक मामला था, जो कि एक किफायती बजट तक सीमित था, भले ही मेहमानों की सूची लंबी होती थी। इसके विपरीत, वर्तमान समय में, इस अवसर को आम तौर पर एक विस्तृत तरीके से मनाया जाता है, जिसमें कई रस्में पहले, उसके दौरान और बाद में की जाती हैं। मेहमानों की लंबी सूची, रंगीन और शानदार आयोजन स्थल, भव्य दावत और रस्मों की एक श्रृंखला आज की 'बड़ी भारतीय शादी' के मुख्य तत्व हैं। कई मामलों में, पत्नी के परिवार से अपेक्षा की जाती है और वह शादी के समय पर्याप्त दहेज देने के लिए बाध्य होता है और उसके बाद पति के परिवार को उपहार देना जारी रखता है। इसे 'भव्य समारोह' बनाने के लिए समारोह पर बहुत बड़ी राशि खर्च की जाती है। विवाह मंडपों को सजाने, भव्य रात्रिभोज की व्यवस्था करने, घर ले जाने वाली मिठाइयाँ, संगीत ऑर्केस्ट्रा, वीडियो-शूटिंग, फोटोग्राफी, विवाह जुलूस आदि के लिए बहुत पैसा खर्च किया जाता है।

विवाह के बदलते स्वरूप के लिए जिम्मेदार कारक:

आर्थिक कारक : विवाह संस्था में परिवर्तन स्पष्ट रूप से शिक्षा में उल्लेखनीय विकास, बढ़ते शहरीकरण और घर के बाहर आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित हैं। लोगों ने काम के लिए "परिवार से बाहर जाना" शुरू कर दिया है और महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ मिलकर नौकरी खोजने और पैसे कमाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे महिलाओं के आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। इन विकासों ने विवाह संस्था को प्रभावित किया है। दूसरा कारक संपन्नता भौतिकवाद है। तकनीकी सुधारों के माध्यम से व्यक्तियों के जीवन स्तर और वास्तविक क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है। विवाह टूटने की इस बढ़ी हुई संपन्नता का प्राथमिक प्रभाव यह है कि लोग तलाक के खर्चों को बेहतर ढंग से वहन कर सकते हैं जिसमें न केवल कानूनी फीस बल्कि दूसरे घर को बनाए रखने की लागत और बच्चों के मनोरंजन की अतिरिक्त लागत भी शामिल है। यह सब विवाह संस्था में होने वाले परिवर्तनों की ओर संकेत करता है।

सामाजिक कारक: अतीत में, संयुक्त परिवार होते थे जिसमें परिवार के सदस्य एक दूसरे पर निर्भर होते थे और समुदाय आपस में मिलकर काम करता था। आज के अत्यधिक शहरी और समृद्ध समाज में, कार्य पैटर्न अधिक विभेदित हो गए हैं जिससे समुदाय के साथ बातचीत करने की आवश्यकता कम हो गई है। इस पैटर्न ने व्यक्तिवाद को जन्म दिया है। 'व्यवस्थापन' की भावना है, यह कार्यात्मक सिद्धांत की अवधारणा है जो बताती है कि संरचनात्मक विभेदीकरण और विशेषज्ञता के माध्यम से समाज कैसे जटिल होता जाता है। अब, समाज में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन के मामले में उच्च स्तर की विशेषज्ञता की विशेषता है। इस विशेषज्ञता से पहले परिवार अपने सदस्यों के लिए आर्थिक, शैक्षिक, मनोरंजन, स्वास्थ्य सेवा, प्रजनन, सुरक्षा और स्नेह की भूमिका निभाता था। धीरे-धीरे, औद्योगीकरण के माध्यम से ये जिम्मेदारियाँ परिवार से ले ली गई हैं और घर के बाहर संस्थागत हो गई हैं। विवाह की संस्था में जबरदस्त बदलाव आया है क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज में रहने की स्थिति, मूल्यों, मानदंडों और परंपराओं में बहुत बड़ा बदलाव आया है, लड़कियों को पारिवारिक मामलों में विशेष रूप से विवाह के मामलों में कोई भूमिका नहीं दी जाती थी। पहले वे अपनी शादी तय होने पर भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे या कोई सवाल नहीं उठा सकते थे। पहले तलाक को 'कलंक' के रूप में देखा जाता था, लेकिन अब समय बदल गया है। लड़कियाँ अपने साथी के चयन से लेकर अपने विचारों को खुलकर सामने रख रही हैं और अगर शादी सफल नहीं होती है तो उन्हें तलाक लेने का पूरा अधिकार है। अन्य चीजें जैसे कि सार्वजनिक धारणा में बदलाव को अक्सर स्थानीय भाषा में 'बदलते समय' के रूप में संदर्भित किया जाता है। लोग अब अधिक आत्म-केंद्रित हो गए हैं और व्यक्तिगतकरण की भावना उन्हें विवाह के पारंपरिक मानदंडों से दूर कर रही है और कानूनी विवाह के बिना घर बना रही है।

मनोवैज्ञानिक कारक : अतीत में, महिलाओं के लिए सबसे बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धि और पुरस्कार का स्रोत शादी करना, बच्चों की परवरिश करना और एक बेहतरीन घर और पारिवारिक जीवन सुनिश्चित करना था। कोई भी अन्य जीवन सामग्री व्यक्तिगत मूल्य की समान भावना प्रदान नहीं कर सकती थी। पुरुषों के लिए आत्म-पूर्ति अच्छी नौकरी बनाए रखने, अपने सपनों की महिला से शादी करने और अपने परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने में निहित थी। पुरुषों और महिलाओं को अपनी-अपनी भूमिकाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी होती है। हालाँकि, बढ़ते शहरीकरण, पारिवारिक भूमिकाओं का संस्थागतकरण, घरेलू देखभाल उत्पादों में तकनीकी सुधार और बढ़ी हुई समृद्धि ने संतोषजनक व्यक्तिगत उपलब्धियों से उत्तेजना और मूल्य की भावना प्रदान करने की घरेलू जीवन की क्षमता को कम कर दिया है। इसके अलावा, व्यक्तिवाद के लोकाचार ने पुरुषों और महिलाओं दोनों को अपनी क्षमताओं का एहसास करने के लिए प्रोत्साहित किया। महिलाओं की बढ़ती आर्थिक स्वतंत्रता ने बच्चों के पालन-पोषण, निर्णय लेने, वित्त और घरेलू कार्यों के क्षेत्रों में अधिक समतावादी पारिवारिक मानदंडों की माँग को जन्म दिया। पारिवारिक मानदंडों और भूमिका अपेक्षाओं में इन परिवर्तनों ने स्थापित प्रतिमानों के प्रस्थान के कारण घरों में घर्षण को बढ़ा दिया। महिलाएँ

करियर और बच्चे दोनों की इच्छा से जूझती हैं, इसलिए वैवाहिक संबंधों में संघर्ष होता है और घरेलू जीवन में अशांति होती है।

तकनीकी कारक: नई तकनीक का आगमन भी विवाह संस्था में परिवर्तन लाने वाले नए कारक के रूप में उभर रहा है। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे जिसमें दादा-दादी और अन्य वरिष्ठ सदस्य कनिष्ठों पर नियंत्रण रखते थे लेकिन अब एकल परिवार हैं जिनमें माता-पिता दोनों कामकाजी होते हैं और बच्चों को काफी हद तक नजरअंदाज किया जाता है। उन पर किसी तरह की निगरानी नहीं होती और वे अलग-थलग पड़ जाते हैं और मास मीडिया और अन्य तकनीकों जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीविजन आदि का सहारा लेते हैं। वे नेटवर्किंग साइट्स का उपयोग करते हैं जो उन्हें परिवार के सदस्यों से दूर लेकिन बाहरी दुनिया के करीब ले जाती है।

विधायी कारक : पिछले 50 वर्षों या उससे अधिक समय में सरकार द्वारा उठाए गए विधायी उपायों ने विवाह संस्था की प्रकृति को बदलने में मदद की है क्योंकि अब विवाह में कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है जो पारंपरिक हिंदू समाज का हिस्सा नहीं थी। हिंदू शास्त्रकारों द्वारा *निर्धारित* विवाह के कई विश्वास, मूल्य, आदर्श और नियम अब अपना मूल अर्थ, महत्व और उद्देश्य खो चुके हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद भी हिंदू विवाह प्रणाली में वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए कानून पारित किए गए थे। कानून निम्न से संबंधित थे: (i) विवाह की आयु (ii) जीवन साथी के चयन का क्षेत्र (iii) विवाह में जीवनसाथियों की संख्या (iv) विवाह विच्छेद (v) दहेज लिया और दिया जाना (vi) पुनर्विवाह। विवाह से जुड़ी विभिन्न अमानवीय प्रथाएं जैसे सती प्रथा को कानून द्वारा हटा दिया गया है। कानूनों ने न केवल बाल विवाह को समाप्त किया है बल्कि लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु भी तय की है जैसे लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। विधानों ने विवाह में चयन को भी स्पष्ट कर दिया है, अर्थात् कौन किससे विवाह करेगा। उन्होंने अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाहों को भी वैध बनाया है और पंजीकृत विवाहों का प्रावधान किया है। विधानों ने तलाक का प्रावधान किया है। इस संबंध में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। विधानों ने तलाक की शर्तों को भी निर्दिष्ट किया है। महिलाओं को उनकी असहायता और कमजोरियों का दूसरों द्वारा शोषण रोकने के लिए विशेष सुरक्षा देने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। संयुक्त परिवारों पर पितृसत्तात्मक मूल्यों की मजबूत पकड़ को ढीला करने के लिए महिलाओं को भी समान अवसर, विशेषाधिकार, अधिकार और सुविधाएं प्रदान करने वाले कानून बनाए गए हैं।

उभरते नए संस्थान

जाति, दहेज और तलाक में बदलाव के अलावा विवाह के पैटर्न में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन हुए हैं जिनका समाज पर बहुत प्रभाव पड़ा है। हालांकि संख्या सीमित है लेकिन महानगरीय शहरों और शहरी क्षेत्रों में कुछ अन्य गंभीर समस्याएं भी हो रही हैं जो इस प्रकार हैं :

समलैंगिक संबंध/लेस्बियन

हालांकि यह भारतीय समाज के लिए एक झटका जैसा लगता है, लेकिन भारत में समलैंगिक/लेस्बियन तेजी से उभर रहे हैं। एनजीओ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय समाज के महानगरों में हजारों समलैंगिक/लेस्बियन हैं। यह एक तरह का रिश्ता है जहाँ समान लिंग वाले व्यक्ति एक दूसरे से शादी करते हैं। 2004 में, सिविल पार्टनरशिप एक्ट ने समान लिंग वाले जोड़ों को पेंशन, विरासत, किरायेदारी और संपत्ति के संबंध में विवाहित जोड़ों के समान कानूनी अधिकार दिए हैं। हालाँकि इस तरह की उभरती हुई संस्थाएँ समाज के सुचारू कामकाज के लिए अनुकूल नहीं हैं और इस प्रकार विवाह पारंपरिक समाजों की तुलना में एक अलग पैटर्न का पालन करते हैं।

सहवास

युवा लोगों को विवाह कम महत्वपूर्ण लग सकता है क्योंकि विवाह-पूर्व यौन संबंध तेजी से स्वीकार्य होते जा रहे हैं। सहवास तब होता है जब युगल डेटिंग से एक साथ रहने की ओर बढ़ता है जो विवाह की ओर ले जा सकता है या नहीं भी। आज, जोड़ों के लिए औपचारिक विवाह के बाहर यौन संबंध शुरू करना, घर बसाना और बच्चे पैदा करना अधिक सामाजिक रूप से स्वीकार्य है। 2002 से, सहवास करने वाले जोड़ों को विवाहित जोड़ों के समान ही गोद लेने का अधिकार है।

एक-व्यक्ति परिवार

जब कोई व्यक्ति अपना परिवार स्थापित करता है तो वह एक व्यक्ति का घर होता है। लोग अब अधिक आत्मकेंद्रित हो गए हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों ही स्वतंत्र रूप से घर बनाकर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। लगभग दस में से तीन घर (6.8 मिलियन लोग) ऐसे हैं जिनके पास एक व्यक्ति का घर है।

एक साथ अलग रह'

यह पश्चिमी देशों में आम तौर पर देखा जाता है जहाँ लोग शादीशुदा होते हुए भी एक दूसरे से दूर रहते हैं। जैसे-जैसे लोग अधिक से अधिक अलग-थलग होते जा रहे हैं और उनमें अहंकारी रवैया बढ़ता जा रहा है, वे नहीं चाहते कि उनकी निजता में कोई दखल दे, इसलिए वे साथ-साथ रहने का रास्ता अपनाते हैं। 2008 में, ब्रिटिश सोशल एंटीट्यूड्स द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार यह पाया गया कि 10 में से 1 वयस्क 'एक साथ अलग-अलग रह रहे हैं' या 'LATs' हैं।

DINKSyndrome (डबल इनकम नो किड्स)

यह शब्द 1980 के दशक में "युप्पी" संस्कृति के चरम पर गढ़ा गया था। 2000 के बाद के आर्थिक संकट ने इस सामाजिक प्रवृत्ति को और मजबूत कर दिया है क्योंकि ज्यादातर जोड़े बच्चे पैदा करने के लिए लंबे समय तक इंतज़ार करते हैं, पाँच में से एक ने बच्चे पैदा ही नहीं करने का विकल्प चुना है। लोग बच्चों की ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते और बिना किसी तनाव के अपने जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। वे बच्चों को अतिरिक्त ज़िम्मेदारी मानते हैं।

निष्कर्ष

पिछले कुछ दशकों में, सामाजिक-आर्थिक विकास और शिक्षा और रोजगार में वृद्धि के परिणामस्वरूप भारतीय विवाह प्रणाली में बदलाव आए हैं। विवाह के पारंपरिक मानदंडों के प्रति दृष्टिकोण और धारणा में परिवर्तन, स्व-चयनित विवाहों में वृद्धि और तलाक/अलगाव में वृद्धि देखी गई है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की औसत आयु में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पिछले चार दशकों में महिलाओं के लिए एसएमएम में 3.2 साल की वृद्धि हुई है। 1971 से 2011 तक उत्तर भारत में महिलाओं के लिए यह 4.3 साल और दक्षिण भारत में 2.6 साल बढ़ी है। किशोर विवाह में कमी आई है और 35-39 वर्ष के आयु वर्ग में अविवाहित महिलाओं का अनुपात बढ़ा है। दक्षिणी क्षेत्र में उत्तरी क्षेत्र की तुलना में 35-39 वर्ष के आयु वर्ग में एकल महिलाओं का अनुपात लगभग दोगुना है। भारत में सार्वभौमिक विवाह आदर्श बना हुआ है। यद्यपि 15-19 वर्ष की आयु समूह में कभी विवाहित महिलाओं के अनुपात में गिरावट आई है, फिर भी यह देश के कुछ हिस्सों में अभी भी अधिक है। महिलाओं की शिक्षा में प्रगति और कम उम्र में शादी के नकारात्मक स्वास्थ्य परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, बाल विवाह प्रथा के खिलाफ सख्त कानूनों को लागू करने और लागू करने, महिलाओं के लिए नागरिक, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों को बढ़ावा देने और लड़कियों और उनके परिवारों के

लिए आर्थिक अवसरों के प्रावधान के साथ, चार दशकों की अवधि में बाल विवाह में कमी आई है। भारत जैसे विकासशील देशों में, तलाक को अत्यधिक कलंकित करने वाली और अवांछनीय घटना माना जाता है। इसे प्राप्त करने में कठिनाई के बावजूद, विवाह विच्छेद बढ़ रहा है। प्रति 1000 कभी विवाहित महिलाओं में तलाकशुदा या अलग हुई महिलाओं की संख्या 1991 में केवल 6.5 से 2011 में 9.7 तक पहुंच गई है।

संदर्भ

1. अब्मी, ए., जयकुमार, के., राजा राम, एम., और पद्मनाभम, आर. (2017)। भारत में बाल विवाह: कानून और नीति में एक अंतर्दृष्टि। <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/ForcedMarriage/NGO/TheRedElephantFoundation.pdf> पर उपलब्ध (24 फरवरी 2017 को एक्सेस किया गया)।
2. भगत, आर.बी. (2016)। भारत में महिलाओं में कम उम्र में विवाह की प्रथा: दृढ़ता और परिवर्तन। वर्किंग पेपर नंबर 10. मुंबई: इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज।
3. कश्यप, आर., स्टीव, ए., और गार्सिया-रोमन, जे. (2015)। संभावित (गलत) मिलान? भारत में सामाजिक-जनसांख्यिकीय परिवर्तन के बीच विवाह बाजार, 2005-2050। जनसांख्यिकी, 52(1), 183-208।
4. नंदा, पी., गौतम, ए., और वर्मा, आर. (2017)। भारत में पुरुषत्व, अंतरंग साथी हिंसा, पुत्र वरीयता पर अध्ययन। नई दिल्ली, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन। https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2016/10/Masculinity-Book_Inside_final_6th-Nov.pdf पर उपलब्ध (6 अक्टूबर 2017 को एक्सेस किया गया)।
5. सुरेश लाल, बी. (2015). भारत में बाल विवाह: कारक और समस्या. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड साइंस, 4(4), 2319-7064.
6. दासगुप्ता, जशोधरा । 2015. जेंडर गैप: पुरुषों को बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त हैं। उपलब्ध: <http://www.dailyo.in/politics/gender-equality-men-get-toomany-privileges-no-country-for-women-india-gender-gap-index/story/1/1478.html> [2015, सितंबर 14 को अभिगमित]
7. गांधी, रजत . 2015. “बिजनेस में महिलाएं: क्या पी2पी उधार पूंजी तक पहुंच में लैंगिक अंतर को पाट सकता है”। द टाइम्स ऑफ इंडिया. 19 जून.
8. लाल, नीता। 2016. भारत को शिक्षा और लैंगिक समानता के माध्यम से “अपनी बेटियों को बचाने” की आवश्यकता है। इंटर प्रेस सर्विसेज, 4 मार्च।
9. मल्होत्रा, सारिका । 2015. “विश्व आर्थिक मंच वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2015 में भारत”। बिजनेस टुडे, 23 नवंबर।
10. टैवरेस, रेबेका आर. और यामिनी मिश्रा . 2016. “बजट 2016: भारत को वास्तव में बदलने के लिए, सबसे पहले महिलाओं पर ध्यान दें”। द टाइम्स ऑफ इंडिया. 1 मार्च.

11. अफ़ज़ल , एस . (2019). दहेज के निर्धारकों को समझाने वाले समीकरण का अनुमान लगाना.आई.यू.आर. जर्नल ऑफ़ सोशल साइंसेज़ एंड ह्यूमैनिटीज़. **1** :33-47.
12. एलन बी. और ग्रो एम (2021) एनाटॉमी ऑफ लव: द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ मोनोगैमी, एडल्ट्री, एंड डिवोर्स। साइमन एंड शूस्टर। न्यूयॉर्क
13. कोन्टज़ , एस. (2015) विवाह, एक इतिहास: आज्ञाकारिता से अंतरंगता तक या कैसे प्रेम ने विवाह पर विजय प्राप्त की। न्यूयॉर्क।
14. जोन्स, जी . (2020). पीड़ित महिलाओं में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर: जोखिम और लचीलापन कारक। जे मैरिज एंड फैमिली, **8** :17-28
15. मैनिंग, डब्ल्यू. (2017) विवाह की बदलती संस्था: किशोरों की सहवास और विवाह से जुड़ी अपेक्षाएँ। *जर्नल ऑफ मैरिज एंड फैमिली* **69** :559-575
16. विश्व बैंक रिपोर्ट (2018)। "फुसफुसाहट से आवाज़ तक: बांग्लादेश में लिंग और सामाजिक परिवर्तन," बांग्लादेश विकास श्रृंखला। वाशिंगटन, डीसी: विश्व बैंक।
17. विसारिया , एल. (2024)। प्रजनन क्षमता में निरंतर बदलाव। डायसन, टी. कैसेन , आर. और विसारिया , एल. (संपादक), ट्वेंटीफर्स्ट सेंचुरी इंडिया: जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, मानव विकास और पर्यावरण। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। पृ. 57-73।